



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2019/आश्विन 24, 1941
No. 619]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2019/ASVINA 24, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. 793(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) आठवां संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,

I. नियम 8क के, उपनियम (1) के, खंड (ख) में, "अथवा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक", शब्दों का विलोप किया जाएगा।

II. नियम 25क में,-

उपनियम (1) के, चतुर्थ परंतुक में, मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्,-

“(iii) डीआईआर-12 (निम्नलिखित को छोड़कर निदेशक में परिवर्तन:

(क) किसी निदेशक के पद की समाप्ति अथवा

(ख) ऐसी कंपनी जहां कुल निदेशकों की संख्या धारा 164 के अधीन सभी अथवा किसी एक निदेशक की अनर्हता के कारण धारा 149 की उपधारा (1) खंड (क) में निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम हैं, में निदेशकों की नियुक्ति।

(ग) ऐसी कंपनी जहां सभी निदेशकों अथवा किसी एक निदेशक के डीआईएन निष्क्रिय कर दिए गए हैं, में किसी निदेशक की नियुक्ति।

(घ) इस अधिनियम अथवा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों के अधीन न्यायालय या अधिकरण या अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन हेतु निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति।”।

III. नियम 28 में, उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) प्रादेशिक निदेशक, उपनियम (1) में संदर्भित आवेदन की जांच करेगा और आवेदन को बिना किसी सुनवाई के आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा आवेदन को अनुमोदित करने अथवा इसे निरस्त करने के आदेश को हर तरह से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर पारित किया जाएगा।

(3) उसी राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत कंपनी कार्यालय के अंतरण के लिए ज्ञापन के परिवर्तन को अनुमोदित करने संबंधी प्रादेशिक निदेशक के आदेश की प्रमाणित प्रति, आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य के रजिस्ट्रार के समक्ष फीस के साथ प्ररूप संख्या आईएनसी-28 में फाइल किया जाएगा।”।

[फा. सं. 1/13/2013-सीएल-V, खंड-IV]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. संख्या 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25-01-2017
9.	सा.का.नि.955(अ)	27.07.2017
10.	सा.का.नि.49(अ)	20.01.2018
11.	सा.का.नि.284(अ)	23.03.2018
12.	सा.का.नि.708(अ)	27.07.2018
13.	सा.का.नि.1219(अ)	18.12.2018
14.	सा.का.नि.144(अ)	21.02.2019
15.	सा.का.नि.180(अ)	06.03.2019

16.	सा.का.नि.275(अ)	29.03.2019
17.	सा.का.नि.332(अ)	25.04.2019
18.	सा.का.नि.357(अ)	10.05.2019
19.	सा.का.नि.411(अ)	07.06.2019
20.	सा.का.नि.803(अ)	28.08.2019

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2019

G.S.R. 793(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Eighth Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (herein after referred to as the said rules),

I. in rule 8A, in sub-rule(1), in clause (b), the words and figure “or applicant for registration,” shall be omitted.

II. in rule 25A,-

in sub-rule (1), in the fourth proviso, for the item (iii), the following shall be substituted, namely.-

“(iii) DIR-12 (changes in Director except in case of:

(a) cessation of any director or

(b) appointment of directors in such company where the total number of directors are less than the minimum number provided in clause (a) of sub-section (1) of section 149 on account of disqualification of all or any of the director under section 164.

(c) appointment of any director in such company where DINs of all or any its director(s) have been deactivated.

(d) appointment of director(s) for implementation of the order passed by the Court or Tribunal or Appellate Tribunal under the provisions of this Act or under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016).”.

III. In the said rule 28, after sub-rule (1), the following rules shall be inserted, namely.-

“(2) The Regional Director shall examine the application referred to in sub-rule (1) and the application may be put up for orders without hearing and the order either approving or rejecting the application shall be passed within fifteen days of the receipt of application complete in all respects.

(3) The certified copy of order of the Regional Director, approving the alternation of memorandum for transfer of registered office company within the same State, shall be filed in Form No.INC-28 along with fee with the Registrar of State within thirty days from the date of receipt of certified copy of the order.”.

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.IV]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016

6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R.1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R.955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R.284 (E)	23-03-2018
12.	G.S.R.708 (E)	27-07-2018
13.	G.S.R.1219 (E)	18-12-2018
14.	G.S.R.144 (E)	21-02-2019
15.	G.S.R.180 (E)	06-03-2019
16.	G.S.R.275(E)	29-03-2019
17.	G.S.R.332(E)	25-04-2019
18.	G.S.R.357 (E)	10-05-2019
19.	G.S.R.411 (E)	07-06-2019
20.	G.S.R.803 (E)	28-08-2019